

विधि विरुद्ध है, क्योंकि यह भूमि आज भी स्कूल मैदान के रूप में पडत है एवं इस भूमि पर अप्रार्थी द्वारा काश्त नहीं की गई है एवं केवल पेपर आवंटन किया गया है। उक्त भूमि आवंटन करने के पूर्व नियम 7 व 8 के अनुसार कोई आवंटन लिस्ट तैयार नहीं की गई है एवं आवंटन के पूर्व नियमानुसार कोई पब्लिकेशन नहीं करवाया गया है, इस आवंटन में नियमों की पालना नहीं की गई है, इसलिये अप्रार्थी का आवंटन काबिल निरस्ती है। इस आवंटन के संबंध में नियमानुसार कोई सूचना जारी नहीं की गई है तथा एक ही दिन में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 के तहत ताबडतोड आवंटन किया गया है और कोई जांच नहीं करवाई गई है तथा नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। आवंटन शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी को आज तक मौके पर उक्त भूमि का कब्जा सुपूर्द नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर आज तक कृषि नहीं की है, इस प्रकार आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है जबकि नियमानुसार आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी को मौके पर कब्जा सुपूर्द नहीं किया गया है और न ही कब्जा सुपूर्दगी के संबंध में आवंटन की शर्तों के अनुसार आप श्री उपखण्ड अधिकारी को कब्जा सुपूर्द करने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अप्रार्थी ने नियमानुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर तथा इसके शेष दूसरे वर्ष में शेष भूमि पर खेती नहीं की है तथा न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश की है, इसलिये अप्रार्थी का आवंटन काबिल निरस्ती है। उक्त आवंटन के लिये आवंटन पत्र आवंटित के लिये आवेदन पत्र आवंटित करने के लिये कोई उद्घोषणा जारी नहीं की है तथा चुपचाप एक ही परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सारी कार्यवाही दोषपूर्ण की गई है। अप्रार्थी ने आवंटन आदेश कपटपूर्ण व दूष्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया है जो कि आप न्यायालय को किसी भी समय ऐसे आवंटन को निरस्त करने का कानूनन प्रावधान है माही एलोटमेंट आवंटन नियम 15 (5) (4) के प्रावधान अनुसार *If it is the discover any time that any information submitted by any applicant is false or if any allottee fails to cultivate the land personally the entire land allotted may be resumend by the allotting authority without payment of compensation* इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार गलत सूचना के आधार पर आवंटन कराता है तो ऐसा आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं आवंटन विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्ती है। प्रार्थी संख्या 01 उक्त रा.प्रा.वि. पातेला का स्कूल डेवलपमेंट एवं मैनेजमेंट समिति का सदस्य है तथा अन्य प्रार्थीगण के बच्चे उक्त विद्यालय में अध्ययन करते हैं एवं प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी आज से दो माह पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा गांव के लोगों पर स्कूल की जमीन हडपने बाबत झुठा दावा आप न्यायालय में पेश करने से प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी होने से उन्होंने राजस्व रेकॉर्ड की नकल प्राप्त की तब उन्हें ज्ञात हुआ कि, अप्रार्थी ने झूठे तथ्य पेश कर स्कूल आवंटनशुदा जमीन पर गलत व विधि विरुद्ध आवंटन करवाया है, इसलिये प्रार्थीगण स्कूल के पक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं तथा स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रार्थीगण के साथ नहीं होने से प्रार्थीगण स्वयं यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। अप्रार्थी को दिनांक 31.10.2001 को आराजी नम्बर 40 में से रकबा 0.48 हे0 व रकबा 0.18 हे0 कृषि भूमि वाके ग्राम जौलाना में आवंटित की गई है जिसका नया सर्वे नम्बर 8096/40 रकबा 0.48 हे0 व 8108/40 रकबा 0.18 हे0 भूमि बना है, को निरस्त कराने प्रार्थना-पत्र पेश हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 31.5.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नियत की जाकर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना से रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली, जाने पर तहसीलदार अरथूना के पत्रांक: राज. /2023/194 दिनांक 20.02.2023 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मौजा जौलाना के आराजी नम्बर 8096/40, 8108/40 रकबा क्रमशः 0.48 हे0, 0.18 हे0, कुल किता रकबा 0.66 हे0 भूमि भुरजी पुत्र गलिया जाति भील सा.देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर


उपखण्ड अधिकारी
जौलाना, जिला बांसवाड़ा

उक्त गैर खातेदार का मौके पर कब्जा काशत नहीं है तथा वर्तमान में उक्त भूमि खेल मैदान के प्रयोजन उपयोग में ली जाना अवगत कराया। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सूनी गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, अभिलेख तथा तहसीलदार अस्थूना द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आदि का अवलोकन एवं प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर संक्षिप्त मनन किया जाने पर ज्ञात आया कि अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर अप्रार्थी द्वारा आदिनांक तक काबिज होकर काशत नहीं की गई है तथा आवंटित की गई भूमि वर्तमान में खेल मैदान के प्रयोजन हेतु उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन शर्तों को पालना नहीं की गई है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 भुरजी पिता गलिया भी सा. देह गैर खातेदार के नाम पटवार हल्का जौलाना के मौजा जौलाना के तत्समय के सर्वे नम्बर 40 रकबा 0.48 हे० व रकबा 0.18 हे० कुल किता 02 रकबा 0.66 हे० के जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की खाता संख्या 724 (नई) 7(पुरानी) के सर्वे नम्बर 8096/40 रकबा 0.48 हे०, सर्वे नम्बर 8108/40 रकबा 0.18 हे० कुल किता दो रकबा 0.66 हे० भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त सर्वे नम्बर 8096/40 रकबा 0.48 हे०, सर्वे नम्बर 8108/40 रकबा 0.18 हे० कुल किता दो रकबा 0.66 हे० भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2024 को जारी किया गया।


(अन्नु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

12.6.24

पत्रावली धरा हुई। डाकें प्रक्रियापत्र प्रकाश
डाकें प्रक्रियापत्र की बखस सुनी गई। डाकें की
भेद से जल्द डाकें प्रकाश का प्रचलन किया
गया। प्रकाश में प्रकाश से निर्णय जाही का
पत्रावली के माध्यम से प्रकाश का प्रचलन प्रकाश
की जाही है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

